न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 41/21 वर्ष 2021
GCMS No- 2021/ 176

बउनवानीः– 1. हेमराज पुत्र चतरू जाति मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर
2. प्रकाश पुत्र चतरू जाति मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर
3. रूपचन्द पुत्र चतरू जाति मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर
4. चतरू पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना क्रियान्वयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड़ सवाईमाधोपुर,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईट टू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 3801 रकबा 0.25 है0, ख0न0 3802 रकबा 0.38 है0, ख0न0 3803 रकबा 0.75 है0 का अवार्ड देने बाबत।

उपस्थितः–1. श्री भोलाशंकर शर्मा — वकील प्रार्थी
2. श्री दीपक शर्मा — वकील अप्रार्थी 2

–: निर्णय :– **दिनांकः– 26.10.2023**

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 3801 रकबा 0.25 है0, ख0न0 3802 रकबा 0.38 है0, ख0न0 3803 रकबा 0.75 है0 का अवार्ड देने बाबत जारी नोटिस क्रमांक/ पीए /भूमि अवाप्ति/संरचना/2021/839 दिनांक 1.3.2021 को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली–बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा वाके ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 3801 रकबा 0.25 है0, ख0न0 3802 रकबा 0.38 है0, ख0न0 3803 रकबा 0.75 है0 भी अवाप्त की गयी है जिसके खातेदार क्रमश अमरचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण, रामकिशन पुत्र हरिनारायण, प्रकाश पुत्र चतरू बहिस्सा बराबर है। उक्त भूमि के अवाप्ति बाबत प्रार्थीगण को नोटिस दिनांक 1.3.2021 मिला है। उक्त भूमि पर लगे हुए पेडो की संख्या व उम्र को कम करके गलत [illegible] अवार्ड दिये जाने बाबत नोटिस जारी किया है। यह तर्क भी दिया कि [illegible] 3802 [illegible] है0 पर 40 अमरूद के पेड पांच साल पुराने लगे हुए है किन्तु 20 पेडो को पांच साल पुराना तथा 20 पेडो को एक साल पुराना मानते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा इसी ख0न0 [illegible] है [illegible] चालू हाल [illegible] उसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:41 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

अवार्ड नही दिया गया है इसके अतिरिक्त तीन पेड जामून के 12 साल पुराने, एक पेड आम का 12 साल पुराना, एक पेड नींबू का 10 साल पुराना,एक पेड अनार का पांच साल पुराना एवं शंकर भगवान का स्थान बना हुआ है जिसका कोई अवार्ड नही दिया गया है। इसी प्रकार ख0न0 3802 रकबा 0.38 पर कुल 167 पेड अमरूद के पांच वर्ष पुराने थे किन्तु उक्त पेडो मे से 35 पेडो को पांच साल के, 6 पेडो का एक साल का, 42 पेडो को तीन साल का , 20 पेडो को पांच साल का व 50 पेडो को दो साल का मानकर अवार्ड राशि निर्धारित की गयी है। इसी प्रकार ख0न0 3803 रकबा 0.75 है0 पर 350 अमरूद के पेड पांच साल पुराने प्रार्थीगण ने विकसित किये थे लेकिन विपक्षी ने सिर्फ 180 अमरुद के पडो की अवार्ड राशि पारित की गयी है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पर लगे हुए 557 पेडो में से 130 पेडो को की आयु 5 साल मानकर अवार्ड दिया गया है शेष 190 पेडो की अलग–अलग आयु मानते हुए शेष पेडो का कोई भुगतान नही किया है। उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आपत्ति दर्ज करा दी गयी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवायी नही की गयी है। अतः उक्तानुसार मुआवजा प्रार्थीगण को दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर "एवं "राजस्थान पत्रिका "में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉं प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म बारानी–1 असिचिंत* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा–3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखो की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये है प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष मे जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट [illegible] तहसील स0मा0 की भूमि खसरा नम्बर 3801 मे से 0.1843 व 0.0857 है0 अवाप्त की गयी है जिसकी अवार्ड राशि 4,90,933/–रू का भुगतान हितबद्ध व्यक्ति को किया गया है तथा उक्त भूमि पर लगे हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:41 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अमरूद के 20 पौधो की अवार्ड राशि 76,200/--रू तथा दुसरे 20 अमरूद के पौधो की अवार्ड राशि 5,43,240/—रू एवं एक बबूल के पेड की अवार्ड राशि 1726/—रू का भुगतान हेमराज पुत्र चतरू को किया जा चुका है तथा इस भूमि पर बने हुए बॉथरूम का 76,552/—रू तथा बाउण्ड्रीवाल का 1,00,36/—रू एवं सेफ्टी टैंक की अवार्ड राशि 20,000/—रू का भुगतान हितबद्व व्यक्ति प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता चतरू पुत्र रामपाल मीना को किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अवाप्त भूमि पर ओर कोई निर्माण कार्य नही होने के कारण अवार्ड नही दिया गया है। इसी प्रकार **ख0न0 3802 रकबा 0.3800 है0 में से अवाप्त भूमि रकबा 0.1539** है0 की अवार्ड राशि 3,01,245/—रू तथा ख0न0 3802 पर लगे हुए अमरूद के 30 पेडो की अवार्ड राशि 8,14,860/—रू अन्य 5 अमरूद के पेडो की अवार्ड राशि 19050/—रू एवं अन्य 5 अमरूद के पेडो की अवार्ड 19050/—रू एवं 50 अमरूद के पेडो की अवार्ड राशि 1,90,500/—रू एवं 6 अमरूद के पेडो की अवार्ड राशि 22,860/—रू एवं 36 अमरूद के पेडो की अवार्ड राशि 1,14,300/—रू रूपचन्द, प्रकाश,हेमराज पुत्रान चतरू मीना के नाम पारित की गयी है एवं 3 पेड नीम व 3 पेड बबूल की अवार्ड राशि 7874/—रू रूपचन्द पुत्र चतरू मीना के नाम पारित की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वृक्ष स्थित नही है। इसी प्रकार **ख0न0 3803 रकबा 0.75 है0 मे से अवाप्त भूमि 0.4401** है0 की अवार्ड राशि 8,61,454/—रू एवं उस लगे हुए अमरूद के 75 पेडो की आयु 4 वर्ष के हिसाब से अवार्ड राशि 21,36,150/—रू तथा अन्य 75 अमरूद के पेडो की आयु एक वर्ष के हिसाब से अवार्ड राशि 2,85,750/—रू का अवार्ड चतरू पुत्र रामपाल मीना के नाम पारित किया गया है। इस प्रकार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड विधिसम्मत है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब/बहस में निवेदन किया।

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भूमि ग्राम डेकंवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 3801 रकबा 0.25 है0, ख0न0 3802 रकबा 0.38 है0, ख0न0 38.3 रकबा 0.75 है0 भी अवाप्त की गयी है जिसके खातेदार कमश अमरचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण, रामकिशन पुत्र हरिनारायण, प्रकाश पुत्र चतरू बहिस्सा बराबर है। उक्त भूमि पर लगे हुए पेडो की संख्या व उम्र को कम करके गलत रूप से अवार्ड दिये जाने बाबत नोटिस जारी किया है जबकि ख0न0 3802 रकबा 0.25 है0 पर 40 अमरूद के पेड पांच साल पुराने लगे हुए है किन्तु 20 पेड को पांच साल पुराने तथा 20 पेडो को एक साल पुराना मानते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा इसी ख0न0 पर एक हैण्डपम्प चालू हालत मे इसका अवार्ड नही दिया गया है इसके अतिरिक्त तीन पेड जामून के 12 साल पुराने, एक पेड आम का 12 साल पुराना, एक पेड नींबू का 10 साल पुराना,एक पेड अनार का पांच साल पुराना एवं शंकर भगवान के स्थान कोई अवार्ड नही दिया गया है। इसी प्रकार ख0न0 3802 रकबा 0.38 पर कुल 167 पेड अमरूद के पांच वर्ष पुराने थे किन्तु उक्त पेडो मे से 35 पेडो को पांच साल के, 6 पेडो का एक साल का, 42 पेडो को तीन साल का 20 पेडो को पांच साल का व 50 पेडो को दो साल का मानकर अवार्ड राशि निर्धारित की गयी है। ख0न0 3803 रकबा 0.75 है0 पर 350 अमरूद के पेड पांच साल पुराने प्रार्थीगण ने विकसित किये थे लेकिन विपक्षी ने सिर्फ 180 अमरूद के पेडो की अवार्ड राशि [illegible] की गयी है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पर लगे हुए 557 पेडो [illegible] 5 साल मानकर अवार्ड दिया गया है शेष 190 पेडो की अलग-अलग आयु मानते शेष पेडो का कोई भुगतान नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:41 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील अप्रार्थी के अनुसार वाके ग्राम डेकवा तहसील स0मा0 की **भूमि खसरा नम्बर 3801 मे से 0.1643 व 0.0857 है0** भूमि अवाप्त की गयी है जिसकी अवार्ड राशि 4,90,933/—रू का भुगतान हितबद्व व्यक्ति को किया गया है तथा उक्त भूमि पर लगे हुए अमरूद के 20 पौधो की आयु 1 वर्ष के हिसाब से अवार्ड राशि 76,200/—रू तथा दुसरे 20 अमरूद के पौधो की आयु 5 वर्ष के हिसाब से अवार्ड राशि 5,43,240/—रू एवं एक बबूल के पेड की अवार्ड राशि 1726/—रू का भुगतान हेमराज पुत्र चतरू को किया जा चुका है तथा इस भूमि पर बने हुए बॉथरूम का 76,552/—रू तथा बाउण्ड्रीवाल का 1,00,36/—रू एवं सेफ्टी टैंक की अवार्ड राशि 20,000/—रू का भुगतान हितबद्व व्यक्ति प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता चतरू पुत्र रामपाल मीना को किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अवाप्त भूमि पर ओर कोई निर्माण कार्य नही होने के कारण अवार्ड नही दिया गया है। इसी प्रकार **ख0न0 3802** रकबा **0.3800 है0 में से अवाप्त भूमि रकबा 0.1539** है0 की अवार्ड राशि 3,01,245/—रू तथा ख0न0 3802 पर लगे हुए अमरूद के 30 पेडो की आयु 5 वर्ष के हिसाब से अवार्ड राशि 8,14,860/—रू अन्य 5 अमरूद के पेडो की आयु 1 वर्ष के हिसाब से अवार्ड राशि 19050/—रू एवं अन्य 5 अमरूद के पेडो की आयु 1 वर्ष मानते हुए अवार्ड 19050/—रू एवं 50 अमरूद के पेडो की आयु 3 वर्ष मानते हुए अवार्ड राशि 1,90,500/—रू एवं 6 अमरूद के पेडो की आयु 1 वर्ष मानते हुए अवार्ड राशि 22,860/—रू एवं 36 अमरूद के पेडो की आयु 3 वर्ष मानते हुए अवार्ड राशि 1,14,300/—रू रूपचन्द, प्रकाश,हेमराज पुत्रान चतरू मीना के नाम पारित की गयी है एवं 3 पेड नीम व 3 पेड बबूल की अवार्ड राशि 7874/—रू रूपचन्द पुत्र चतरू मीना के नाम पारित की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वृक्ष स्थित नही है। **ख0न0 3803 रकबा** 0.75 **है0 मे से अवाप्त भूमि 0.4401** है0 की अवार्ड राशि 8,61,454/—रू एवं उस लगे हुए अमरूद के 75 पेडो की आयु 4 वर्ष के हिसाब से अवार्ड राशि 21,36,150/—रू तथा अन्य 75 अमरूद के पेडो की आयु एक वर्ष के हिसाब से अवार्ड राशि 2,85,750/—रू का अवार्ड चतरू पुत्र रामपाल मीना के नाम पारित किया गया है। वकील प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थीगण के पक्ष मे ख0न0 3801,3802,3803 की अवाप्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पति का नियमानुसार अवार्ड नही दिये जाने बाबत कथन किया है किन्तु कथन के समर्थ मे ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया जिसके आधार पर अमरूद के पेडो की आयु का निर्धारण किया जा सकें। उक्त परिसम्पति पर शंकर भगवान का स्थान होने अथवा हेण्डपम्प होने के संबंध मे भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी द्वारा किया गया कथन विधिसम्मत है। अतः भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्तानुसार पारित अवार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नही है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत पारित अवार्ड मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष मे उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:41 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Scanned with OKEN Scanner